

प्रेसनोट दिनांक 25.05.2023

1. दिनांक 24.05.2023 को वादी श्री सुमित शर्मा पुत्र आनन्द शर्मा नि० नवाबगंज थाना नवाबगंज गोण्डा। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो०सा० संख्या यूपी 45 एई 3010 चोरी कर लेना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 306/23 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 24.05.2023 को वादी श्री रामदेव पुत्र धमसादीन नि० सराय भनौली थाना को०बीकापुर अयोध्या।दिनेश पुत्र रामदेव नि० सराय भनौली थाना को०बीकापुर अयोध्या।आदि 02 नफर द्वारा सूचना दिया गया कि अभि०गण द्वारा वादी के पुत्र को जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 250/23 धारा 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 24.05.2023 को वादी आरक्षी दयानन्द यादव थाना बाबा बाजार अयोध्या। मयाराम पुत्र रामसजीवन नि० मत्था नेवादा थाना बाबा बाजार अयोध्या।गिर० द्वारा सूचना दिया गया कि अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु०अ०सं० 62/23 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 24.05.2023 को वादी उ०नि० श्री थीरेन्द्र आजाद थाना बाबा बाजार अयोध्या।रामऔतार पुत्र राममिलन नि० गनेशपुर थाना बाबा बाजार अयोध्या।गिर० द्वारा सूचना दिया गया कि अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु०अ०सं० 63/23 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 24.05.2023 को वादी उ०नि० श्री जयकिशो अवस्थी थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रवि निषाद पुत्र रामू निषाद नि० भावापुर थाना को०बीकापुर अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब व बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 248/23 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।